

RTI Act 2005
अ-चतलाल / अ-चराम

पुनः प्रस्तुत

करने का
Right Reserve

रखते हुए प्रकरण

का withdraw

करवा है

Rishi
Mathur

22/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। जिन्होंने पुनः प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुए उक्त वाद को Withdraw किया है।

चूंकि वकील वादी द्वारा वाद को Withdraw कर दिया है। जिससे उक्त वाद को अब आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से विचाराधीन उक्त वाद अधारा 188 R.T Act का जरिये विद्रो (Withdraw) खारीज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया पत्रावली फ़ैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

सहायक कलेक्टर सिरोही
राजस्थान सरकार
सिरोही
दिनांक 22/04/25

सहायक कलेक्टर सिरोही
राजस्थान सरकार
सिरोही
दिनांक 22/04/25